# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
## JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**Medical, Engineering, CLAT एवं NDA की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा केन्द्र में नामांकन हेतु आयोजित होनेवाली प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना**

**विज्ञप्ति संख्या – ...16.../2022**

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 931 दिनांक 06.04.2022 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालयों तथा CLAT एवं NDA में प्रवेश के लिए आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा केन्द्र में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

एतद् द्वारा संबंधित छात्र/छात्राएँ, जो निम्नांकित योग्यता एवं अर्हत्ता रखते हैं, उनसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

(क) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2022 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों।

(ख) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि/जाति प्रमाण–पत्र तथा दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, परन्तु नामांकन के समय उन्हें मूल रुप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व सामान्य कोटि का माना जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2) परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 18.04.2022 से 20.05.2022 तक ऑनलाइन भरा जाएगा।

3) प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तथा परीक्षा आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी।

4) परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने तथा परीक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाईन में वर्णित दिशा–निर्देश को भली–भांति पढ़कर उसी के अनुसार परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,
14/4
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

JAC/1355/18-Secy/258/22
Dt. - 14/04/22
D.O.P. - 15/04/22